न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निग- 1883-III-14

श्यामलाल तनय रम्मा कुशवाहा ,

निवासी ग्राम नचनवारा तह0 व जिला टीकमगढ़ ,

...............आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन .... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना हैः–

1 यह कि आवेदक यह निगरानी अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 1019/बी–121/2007–08 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 13/12/2013 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में न होन से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथपत्र के संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नचनवारा तहसील एवं जिला टीकमगढ़ में आवेदक के नाम से तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा अपने प्र0 क0 28/अ–63/84–85 में पारित आ0 दि0. 25/09/1985 के द्वारा आवेदक के नाम से खसरा नं0 962, 969 में रकवा 0.121 एवं 0.174 है0 भूमि का ब्यवस्थापन किया गया था। आवेदक उपरोक्त भूमि पर काफी लंबे समय से काबिज चला आ रहा है। जिसके बिरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा एक प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया कि जिस प्र0 क0 के द्वारा उपरोक्त ब्यवस्थापन किया गया है, वह अभिलेख पंजी पर दर्ज नहीं है। जिसके आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण स्व0 निगरानी में लेकर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया। जिसका जबाब आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे नजर अंदाज करके आवेदक को उपरोक्त प्र0 क0 पर किया गया ब्यवस्थापन कलेक्टर

आज दिनांक 19/6/14 को श्री ... Adv. ... 19/6/14

13.8.14

23-6-14

XXXIX(a)-BR(H)-11 इमरतलाल व श्रीसिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1883/III/14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	आवेदक अभि० श्री राजेन्द्र परीक्षा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। अत: आवेदक अभिभाषक का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	not Press (हस्ताक्षर) 29/3/16

[कृ. प. उ.